बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 18 फरवरी,2015 को निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एल.एल.ए. के तहत मूल्यांकन/आंकलन हेतु एक बैठक आहूत की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे :–

1. श्री आर.डी. शर्मा अपर निदेशक,एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड।
2. श्रीमती आशा पैन्यूली, प्रभारी अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. श्री जे.पी. काला, स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. श्रीमती हिमानी बिष्ट, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
6. श्री मनोज कुमार शुक्ला, प्रवक्ता, एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड।
7. श्री मदन मोहन जोशी, प्रवक्ता, एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड।
8. श्रीमती शान्ती नबियाल, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
9. श्रीमती हेमलता तिवारी, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।

उक्त बैठक में कक्षा 01 से 05 तक एस.एस.ए. के तहत होने वाले मूल्यांकन/आंकलन हेतु निम्न निर्णय लिए गए :–

1. शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु कक्षा 1,2, 4 5, 6, 7 एवं 8 में पुराने पैटर्न पर मूल्यांकन/आंकलन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. कक्षा–3 हेतु एल.एल.ए. के तहत आंकलन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. कक्षा–3 में एल.एल.ए. के तहत एस.सी.ई.आर.टी. Model Paper तैयार कर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को देगा तथा सम्बन्धित जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान Model Paper तैयार करेगें। ये प्रश्नपत्र दो विषयों (1. भाषा एवं 2. गणित) पर आधारित होगें।
4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक स्कूल को भाषा एवं गणित का एक प्रश्नपत्र का मुद्रण कर सम्बन्धित संकुल समन्वयक के माध्यम से विद्यालय में पहुंचाएगें तथा सम्बन्धित विद्यालय Model Paper के आधार पर छात्रों का आंकलन सुनिश्चित करेगें।
5. कक्षा–3 के आंकलन का अनुश्रवण सम्बन्धित संकुल के संकुल समन्वयक (CRC) करेगें। संकुल समन्वयक (CRC) अपनी रिपोर्ट ब्लाक समन्वयक (BRC)/उप खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) सम्बन्धित जनपद व जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) विस्तृत रिपोर्ट तैयार निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करेगें।
6. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कक्षा–3 की एल.एल.ए. के तहत किये जाने वाले मूल्यांकन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश भी विद्यालयों, उप खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को देगें ।

...........2

7. कक्षा–3 के लिए एल.एल.ए. पैटर्न पर किए जाने वाले आंकलन का बेसलाइन परीक्षण किया जाएगा तथा इन्ही छात्रों का कक्षा–5 में आगामी वर्ष में आंकलन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. कक्षा–3 में एल.एल.ए. करने के पश्चात् कमजोर बच्चों की सूची तैयार की जाएगी व अगले शैक्षिक सत्र में जिस विषय में छात्र कमजोर है, उसके शैक्षिक उन्नयन हेतु विशेष प्रयास किया जाएगा।
9. सम्बन्धित जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 10 प्रतिशत विद्यालयों की रेंडम चेकिंग करेगें व उसकी आख्या एस.सी.ई.आर.टी. व निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड को देगें।
10. कक्षा–3 में जिन दो विषयों (भाषा व गणित) में एल.एल.ए. किया जाना है, उसमें अंक देकर श्रेणी (grade) में परिवर्तित किया जाएगा।
11. छात्रों को दिए जाने वाले अकों को तीन श्रेणीयों (grade) में विभक्त किया जाएगा, श्रेणी (grade) A, PA एवं NA होगी –

A (Achieve)	–	'A' Grade
PA (Partialy Achieved)	–	'B' Grade
NA (Not Achieved)	–	'C' Grade

20/2/15

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0–विविध/22608–94 /एल.एल.ए./2014–15 दिनांक 21/फरवरी,2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं कार्यवृत्त के अनुपालनार्थ।
4. अपर निदेशक (प्रा0शि0), गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
5. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे उप खण्ड शिक्षा अधिकारी को अपने स्तर से सूचित करें व आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।